नियम (26)

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम-भीनमाल

वादी/प्रार्थी- बनाम प्रतिवादी/अप्रार्थी-

[illegible]पाराम S/o मोडाराम [illegible]घवाल नि- निम्बोड़ा तह: भीनमाल

मोडाराम S/o उन्नाराम मेघवाल नि. निम्बोड़ा तह- भीनमाल वगैरा (5)

किस्म मुकदमा – राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / अस्थाई निषेधाज्ञा नंबर- 07/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
13/9/18	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जुंजारमल [illegible] द्वारा बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने बाबत विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 26/9/2018 को पेश हो। सहायक कलेक्टर भीनमाल	
26/9/18	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 व 2 के वास्ते श्री [illegible] अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग (U.T.) की चाकर आयंदा वकालतनामा पेश करना चाहा। गया। अप्रार्थी नं. 3 व 5 के वास्ते तहसीलदार उपस्थित। अप्रार्थी नं. 4 का नोटिस तामिल व वकालतनामा प्राप्त नहीं हुआ है, इंतजार हो। आज मंत्रालयिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश में होने से पत्रावली आयंदा तारीख 1-10-18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, भीनमाल	U.T प्रति. 1 व 2 की ओर से पेश।

Scanned by CamScanner

25.9.19	बकुलाय फरीकेन उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता [illegible] उपस्थित समय किया गया। अप्रार्थी आदि द्वारा आज भी जवाब पेश नहीं किया अतः अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। पक्षकारान अधिवक्ता की इस्तदुआ पर बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया मामले मे तस्फिया बाद राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनायी रखी जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावेगी विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] सहायक कलेक्टर भीनमाल

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी – दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या–07/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रूपाराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी निम्बोडा तहसील भीनमाल		1 मोडाराम पुत्र अनाराम जाति मेघवाल 2 पवनीदेवी पत्नि बाबूलाल मेघवाल निवासी निम्बोडा 3 भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल 4 शाखा प्रबंन्धक एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई शाखा भीनमाल 5 उप पंजीयक भीनमाल

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 25-9-19

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सरहद मौजा निम्बोडा में नवीन खसरा नम्बर 302 व 305 में 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 217 व 791 सम्पुर्ण जमीन प्रार्थी की पैतृक सम्पति आयी हुई है उक्त सम्पति दादा अनाराम की कब्जे काश्त की थी। पुराने खसरा नम्बर 217,166 मी , 444 सृजित किये गये। प्रथम सेटलमेन्ट के वक्त दादा फौत हो चुके थे। जिसके कारण उपरोक्त पेतृक सम्पति मेरे पिता रूपाराम के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। उक्त सम्पति पेतृक है मेरे पिता की स्वअर्जित सम्पति नही है। पेतृक सम्पति होने के कारण मुझ प्रार्थी का उक्त खातेदारी भूमि में जन्म से ही हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हक हिस्सा है मौके पर हिस्सा अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त है लेकिन अप्रार्थी मेरे पिता की नियत में खोट आ गयी है तथा मेंरे हक हिस्से की जमीन से वचितं करना चाहते है।मुझे भुमीहिन कर बेदखल करने पर आमदा है। उक्त आराजी पेतृक होने से मिले हक हिस्से की भूमि का खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये व बन्टवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है।इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा माफीक इश्तदुआ सादिर फरमाई जावे अन्यथा अप्रार्थीगण किसी अजनबी को बेच देंगें तथा प्रार्थी को अपुरणीय क्षति होगी। प्रार्थी का जन्मसिद्व अधिकार है तथा मौके पर कब्जा काश्त एंव रहवास है।इसलिए प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थी के हक में बनता है।अत एवअस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें।

अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्रीकमलेश कुमार द्वारा दिनांक 26.9.18 को अन्डर टेकिगं ली जाकर वकालतनामा व जवाब का अवसर चाहा गया परन्तु पर्याप्त अवसर के बावजुद भी जवाब इत्यादि प्रस्तुत नही हुआ। फलस्वरूप अप्रार्थी पक्ष का जवाब बन्द किया गया ।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी व बहस पर मनन किया एंव प्रकरण का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी बाबत न्यायालय हाजा

Scanned by CamScanner

के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी, बन्टवाडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। जिसमे तनकीयात कायमी के पश्चात साक्ष्यों के बाद ही विधि के अनुरूप निर्णय सम्भव होगा तथा जिसमें समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी की रेकार्ड की स्थिति परिवर्तन न हो तथा पक्षकारान के बीच अनावश्यक मुकदमाबाजी नही बढे इस हेतु वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई सादिर किया जाना न्यायसंगत प्रतीतहोतीहै।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा निम्बोडा के वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 302 रकबा 1.43 हैक्टर व खसरा नम्बर 305 रकबा 1.71 हैक्टर मेसे 1/2 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 2.34 हैक्टर व ख.न. 791 रकबा 3.19 हैक्टर की अप्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाए रखेंगें।

निर्णय आज दिनांक 25.9.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner